भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 820
07 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा

820. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मछली पकड़ने और मत्स्यपालन से जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों को कवर करने के लिए कोई बीमा योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों और निपटाए गए दावों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;
(ग) क्या सरकार का मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा का विस्तार करने की योजना है; और
(घ) मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2020-21 से कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत देश भर के मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान करता है। पीएमएमएसवाई के तहत कार्यान्वित बीमा घटक मछुआरों, मत्स्य श्रमिकों, मत्स्य किसानों और मत्स्यन और मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल किसी भी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों की बीमा जरूरतों को व्यापक रूप से पूरा करता है। पीएमएमएसवाई के तहत प्रदान किए जाने वाले बीमा कवरेज में (i) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5,00,000/-, रूपये (ii) स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2,50,000/- रूपये और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताली चिकित्सा के लिए 25,000 रु/- की राशि शामिल है। पिछले तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22(अर्थात् 2019-20 -नीली क्रांति :मात्स्यकी का एकीकृत विकास एवं प्रवंधन तथा 2020-21 से 2021-22 पीएमएमएसवाई के अंतर्गत) के दौरान सहायता प्राप्त मछुआरों के परिवारों की संख्या और निपटाए गए दावों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): इसके अलावा, विभाग ने मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक और मोटरयुक्त मत्स्यन जहाजों के मछुआरों के लिए सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए सहायता, पारंपरिक और मोटरयुक्त जहाजों के लिए संचार और/या ट्रैकिंग उपकरण(वीएचएफ/डीएटी/एनएवीआईसी/ट्रांसपोंडर) प्रदान करना शामिल है।

अनुबंध

'मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा' के संबंध में 7 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए श्रीमती पूनमबेन माडम, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 820 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित पिछले तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22 (अर्थात् 2019-20 -नीली क्रांति :मात्स्यकी का एकीकृत विकास एवं प्रवंधन तथा 2020-21 से 2021-22 पीएमएमएसवाई के अंतर्गत) के दौरान सहायता प्राप्त मछुआरों के परिवारों की संख्या और निपटाए गए दावों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**सहायता प्राप्त मछुआरों के परिवारों की संख्या**	**निपटाए गए दावों की संख्या**
i	**ii**	**(iii)**	(iv)
1	अंडमान और निकोबार	1	1
2	असम	2	2
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	बिहार	8	8
5	छत्तीसगढ	8	8
6	दमन और दीव और दादर नगर हवेली	0	0
7	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0
8	गुजरात	1	1
9	हरियाणा	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	7	7
11	जम्मू और कश्मीर	1	1
12	झारखंड	3	3
13	कर्नाटक	8	8
14	लद्दाख	0	0
15	लक्षद्वीप	0	0
16	मणिपुर	0	0
17	महाराष्ट्र	5	5
18	ओडिशा	24	24
19	पुदुचेरी	5	5
20	पंजाब	0	0
21	राजस्थान	0	0
22	तमिलनाडु	420	420
23	तेलंगाना	187	187
24	सिक्किम	0	0
25	त्रिपुरा	0	0
26	उत्तरप्रदेश	2	2
27	उत्तराखंड	0	0
	कुल	**682**	**682**

******